

20/12/23

वकील अपीलान अनुपासिए। वकील अपीलान
एवं स्वयं अपीलान को बार-बार भावों
दिलवायी गयी किन्तु कोई उपासिए नहीं
आया। निमत दिनांक को उपासिए नहीं होने
के कारण यह पत्रावली अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज की जायी है। पत्रावली
फैसल शुमा होकर बाद पुत्रि कारखान
दस्ता की जाये।

अबि. संभागीय आयुक्त
मरतपुर